न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 388/2024

अनवान : –

1. प्रेमराज पुत्र रूप राम जाति मेघवाल निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. कान्ता पुत्री रूप राम जाति मेघवाल निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. कर्मसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. नत्थासिंह पुत्र हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. रामसिंह पुत्र हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. विनोद कुमार पुत्र श्योजत राम जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रूपराम पुत्र बिरूराम जाति मेघवाल साकिन असरजाना निवसी नोहर।
7. पुष्पा पुत्र रूपराम जाति मेघवाल साकिन असरजाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः-31/7/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655/546 की कुल 6.0710 हैक्ट भूमि जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655/546 की कुल 6.0710 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगाान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4, 6 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स0 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंन्तिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655/546 की कुल 6.0710 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीग मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655/546 की कुल 6.0710 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 विनोद कुमार पुत्र श्योजतराम जाति मेघवाल सा0 सोनड़ी खातेदार
प0न0 97/44 (573) 1–2 की 0.506 कुल किता 2 रकबा 0.506 हैक्ट बारानी

2 कांता पुत्री रूपाराम जाति मेघवाल सा0 असरजाना खातेदार
97/43 (513) 22/2/2 की 0.150, 23/2 की 0.202, 13/1 की 0.153 हैक्ट, 18–19 की 0.506 हैक्ट कुल 1.011 हैक्ट बारानी

3 रूपराम पुत्र विरूराम जाति मेघवाल निवासी असरजाना खातेदार
97/43(513) 3 की 0.253, 4/1 की 0.202, 5/1 की 0.203 हैक्ट, 8 की 0.253 हैक्ट, 13/2 की 0.100 कुल रकबा 1.011 हैक्ट

4 पुष्पा कुमारी पुत्री रूपराम जाति मेघवाल निवासी असरजाना खातेदार
97/43(513) 4/2 की 0.051 हैक्ट, 7–14–17 की 0.759, 24/2 की 0.202 कुल रकबा 1.012 हैक्ट बारानी

5 प्रेमराज पुत्र रूपराम जाति मेघवाल सा0 असरजाना खातेदार
97/43(513) 5/2 की 0.050 हैक्ट, 6–15–16 की 0.759 हैक्ट, 25/1 की 0.202 कुल रकबा 1.011 हैक्ट

6 नत्थासिंह पुत्र हाकमसिंह 1518/1520 हि0, लक्ष्मणसिंह पुत्र हाकमसिंह 2/1520 हि0 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार
97/43(513) के कि0न0 9 ता 12 की 1.012, 20 की 0.253 हैक्ट, 21/2 की 0.203 हैक्ट, किला न0 22/2/1 की 0.052 हैक्ट कुल रकबा 1.520 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ....31/7/24.... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1. प्रेमराज पुत्र रूप राम जाति मेघवाल निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. कान्ता पुत्री रूप राम जाति मेघवाल निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. कर्मसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. नत्थासिंह पुत्र हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. रामसिंह पुत्र हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. विनोद कुमार पुत्र श्योजत राम जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रूपराम पुत्र बिरूराम जाति मेघवाल साकिन असरजाना निवसी नोहर।
7. पुष्पा पुत्र रूपराम जाति मेघवाल साकिन असरजाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 7388 सन 2024 निर्णय दिनांक –31/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655/546 की कुल 6.0710 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 विनोद कुमार पुत्र श्योजतराम जाति मेघवाल सा0 सोनड़ी खातेदार
प0न0 97/44 (573) 1–2 की 0.506 कुल किता 2 रकबा 0.506 हैक्ट बारानी

2 कांता पुत्री रूपाराम जाति मेघवाल सा0 असरजाना खातेदार
97/43 (513) 22/2/2 की 0.150, 23/2 की 0.202, 13/1 की 0.153 हैक्ट, 18–19 की 0. 506 हैक्ट कुल 1.011 हैक्ट बारानी

3 रूपराम पुत्र विरूराम जाति मेघवाल निवासी असरजाना खातेदार
97/43(513) 3 की 0.253, 4/1 की 0.202, 5/1 की 0.203 हैक्ट, 8 की 0.253 हैक्ट, 13/2 की 0.100 कुल रकबा 1.011 हैक्ट

4 पुष्पा कुमारी पुत्री रूपराम जाति मेघवाल निवासी असरजाना खातेदार
97/43(513) 4/2 की 0.051 हैक्ट, 7–14–17 की 0.759, 24/2 की 0.202 कुल रकबा 1.012 हैक्ट बारानी

5 प्रेमराज पुत्र रूपराम जाति मेघवाल सा0 असरजाना खातेदार
97/43(513) 5/2 की 0.050 हैक्ट, 6–15–16 की 0.759 हैक्ट, 25/1 की 0.202 कुल रकबा 1.011 हैक्ट

6 नत्थासिंह पुत्र हाकमसिंह 1518/1520 हि0, लक्ष्मणसिंह पुत्र हाकमसिंह 2/1520 हि0 जाति बाजीगर सा0 देह खातेदार
97/43(513) के कि0न0 9 ता 12 की 1.012, 20 की 0.253 हैक्ट, 21/2 की 0.203 हैक्ट, किला न0 22/2/1 की 0.052 हैक्ट कुल रकबा 1.520 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 31/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर